

C/No 124/2011

13/12/2021

पत्रावली पेश हुई वकील शर्मा अप.
नही वकील शर्मा को रोक-रुक कर 5:30 p.m.
तक आवाज लागवाई गई। वकील शर्मा अप. या
उनका कोई प्रतिनिधि अप. नहीं।

अतः शर्मा के हाथना का
उक्त अदम परवी अदम हाजिरी में पारिज किया
जाकर पत्रावली फाइनल शुमार होकर नम्बर
ले कर हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

